

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़वा व मुकाम रोड़वा

..... अयदल राफ बनाम श्री सरी खान

किरम मुकदमा..... राजस्व झोकेस मुकदमा नम्बर..... 403...../2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------	--

11/12/23 प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री..... जुगता सिंह यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेपोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... 05/01/23 को पेश हो। *[Signature]*

29/01/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 15/3/23 को पेश हो। *[Signature]*

15/03/23 अधिकृतगण दफ्तराल पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 26/04/23 को पेश हो। *[Signature]*

13/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरो वकील शर्मा ने प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी तारीख पर लेटर फॉसल करने बाबत आ पेशा उर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली जाये। वकील शर्मा के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। विप्रार्थीगण के सम्मन रेपु मउ सुदा लामील प्राप्त होने के बावजूद कोई उप-

ख
क

नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध उत्पन्न अभिवाही अमल में लक्ष्मी
 जारी है। वहील धर्मों ने बहल सुने ठा भिक्वत किया।
 वहील धर्मों की बहल सुनी गई। बहल पर मनन किया गया।
 पत्रावली एवं पत्रावली मर सेलजन पत्रावली ठा अवलोकन
 किया गया। जिससे अभी सेल है ठा धर्मों का आवेदन
 स्वीकार उले योग्य है। अतः नेरवप्रबंदी विगम अलग ले
 लिखा जाउठ आदिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंडल
 सुमार होउठ दारिल दफ्तर हो सेय्या से उम हो।

Balki

(Faint official stamp or text, possibly a date or administrative note)

(Faint text at the bottom of the page, possibly a signature or additional note)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं 403/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जयमलराम वगैरा बनाम मीसरी खां वगैरा
पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील - श्री जुगतसिंह सौड़ा

निर्णय

दिनांक - 13/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 173 रकबा 7.3895 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 173 रकबा 7.3895 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1. जयमलराम पुत्र कुम्भाराम 2. आईदानराम पुत्र कुम्भाराम 3. मूलाराम पुत्र कुम्भाराम 4. जतनो पत्नी खांकू 5. डूगरा पुत्र खांकू 6. डामरा पुत्र खांकू 7. हाकम पुत्र खांकू जातियान मेघवाल निवासी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1. मीसरी खां पुत्र खवड खां 2. मुवारक खां पुत्र खवड खां 3. अकबर पुत्र अदरीम 4. खानू पुत्र मियादाद 5. मठार पुत्र मुराद 6. अलू पुत्र मुराद 7. नसीबा पत्नी मुराद 8. मीरा पुत्र करीमना 9. फादूल पुत्र रहीमना जातियान मुसलमान निवासी बीसासर 10. सुमार पुत्र मेहन्द्रा जाति मेघवाल 11. खाना पत्नी कायम 12. रहीमना पुत्र कायम 13. मुवारक पुत्र कायम 14. रमदान पुत्र कायम 15. सिलेमान पुत्र कायम सभी जातियान मुसलमान निवासी ठोटी बीसासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 16. राज्य सरकार के जरिये तहसीलदार सेड़वा
---	-------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।


राजस्व आवेदन संख्या 403/2022

दिनांक : 13/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार बीसासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा बीसासर के खेत खसरा संख्या 173 रकवा 7.3895 हैक्ट. किस्म वारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी संक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी विन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस विन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।


 (रामजी माई कलवी)
 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 दिनांक 13/04/2023

क्रमांक/भू.अ./2023/ 601 - 607

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी जयमलराम पुत्र कुम्भाराम
3. विप्रार्थीगण, मीसरी खां पुत्र खवड खां वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/वाखासर/वीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।


 उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 (SDO) सेड़वा